तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/2/17	प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये वकील अन्तर्गत धारा 49(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें । अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावें । मिसल दिनांक 13.4.17 को पेश हो । सहायक कलेक्टर बाप (जि. जोधपुर)	
13/4	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अ. / अप्रार्थी नं. 2 व 4 और वकील श्री मदन गोपाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। इस अप्रार्थी की तलबी इंतजार होकर मिति 20/4/17 को पेश हो।	
20/4	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकील श्री के धारणी ने वकालतनामा व जवाब दावा पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया। मिसल वास्ते जवाब दावा अप्रार्थी नं. 1 मिति 26/4/17 को पेश हो।	
26/4	राज्य सरकार [illegible] राजस्व महोदय [illegible] पत्रावली प्रकरणों के [illegible] न्यायालय आपके [illegible] आ.तं. [illegible] केन्द्र पर [illegible] पेश हो । दिनांक 27/1 सहायक कलेक्टर (एस.डी.एम.) बाप (जोधपुर)	
4/7	पत्रावली सायल लोक अदालत बाप आपके आर-201 पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 12/7 की अर्जी में पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर मिति Not Press खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रार्थी इस्तगासा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिति Not Press खारिज किया जाता है। मिसल पत्रावली इंतजार होकर वापिस लोक अदालत नाबरार्थ पेश हो। (राजेन्द्र कुमार डोगा) RAS	NOT PRESS RSM